	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 10, मंगलवार, शाके 1948- सितम्बर 01, 2026 Bhadra 10, Tuesday, Saka 1948- September 01, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

संशोधित प्रारम्भिक अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 17, 2026

संख्या प.4(28)उद्योग/1/2025:-राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.08.2026 को जारी प्रारम्भिक अधिसूचना क्रमांक प.4(28)उद्योग/1/2025 में संशोधन कर प्रारम्भिक अधिसूचना निम्न प्रकार से जारी की जाती है:-

यत: राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लोक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ 40 मीटर चौडाई में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल-तिजारा में कुल 4.1712 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य हेतु चयनित एजेन्सी सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS), जयपुर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 में विहित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन कर भूमि अवाप्ति हेतु अनुशंषा प्रस्तुत की गई है।

परियोजना हेतु किए गए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की रिपोर्ट अपेक्षक निकाय रीको की वेबसाइट www.riico.co.in पर उपलब्ध है।

भूमि अर्जन के कारण कुल 40 कुटुम्बों के विस्थापित होने की सम्भावना है। भूमि अर्जन से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर को इनके क्षेत्राधिकार में प्रशासक, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियुक्त किया जाता है।

अत: उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल-तिजारा में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 की

उपधारा (1) के प्रावधानान्तर्गत कुल 4.1712 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
1	319 मिन	खातेदार	चाही-3	0.0302	1. ईशवरसिह पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 2. कृष्णा पुत्र हेमकरण हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सलारपुर 3. छोटीदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/32 जाति-अहीर सा. देह खातेदार 4. छोटीदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा-1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 5. नेतराम पुत्र तेजसिंह हिस्सा-1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 6. पूर्ण पुत्र हेमकरण हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 7. पुरणसिंह दत्तक पुत्र शिवदयाल हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 8. बलराम पुत्र हेमकरण हिस्सा- 1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 9. मनोज कुमार पुत्र घीसाराम हिस्सा- 1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 10. विक्रम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 11. सीताराम दत्तक पुत्र सोहन हिस्सा- ¼ जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4
2	320 मिन	खातेदार	चाही-3	0.4811	
3	427 *मिन*	खातेदार	चाही-3	0.4600	
4	1715/427	खातेदार	चाही-3	0.0078	
5	429 *मिन*	खातेदार	चाही-3	0.3806	
6	481 मिन	खातेदार	जाव-3	0.4470	

					(खसरा सं- 316, 319) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सलारपुर, हिस्सा-1/4 (खसरा सं- 316, 319 बिना रहन) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सलारपुर 12. सोनू यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा-1/32 जाति- अहीर सा. देह खातेदार
7	431 मिन	खातेदार	चाही-3	0.0942	1. उर्मिला पत्नि कालूराम हिस्सा-1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/36 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सलारपुर 2. कृष्णा पुत्री मोहनलाल हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 3. छोटी पुत्री मोहनलाल हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 4. देवानन्द पुत्र मोहनलाल हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 5. दिल्लोदेवी पत्नि लालसिंह हिस्सा-1/12 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) *बैंक ऑफ ऑरियंटल* टपुकडा 6. ममता पत्नि राजबीर हिस्सा-1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 7. रामगिरी पत्नि मोहनलाल हिस्सा-1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार
8	437 मिन	खातेदार	बारानी-3	0.0410	

					8. रोहताश पुत्र मोहनलाल हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक, टपूकडा 9. लालसिंह पुत्र कुन्दन हिस्सा-1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा टपूकडा 10. वीरसिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा-1/24 जाति- अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/24 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक, टपूकडा 11. श्योचन्द पुत्र कुन्दन हिस्सा-1/4 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 12. सरोज पत्नी युद्धवीर हिस्सा-1/36 जाति- अहीर सा. देह खातेदार
9	430 मिन	खातेदार	बारानी-3	0.3438	1. ताराचन्द पुत्र गोरधन हिस्सा-1/4 जाति-अहीर सा. देह खातेदार 2. प्रदीपकुमार पुत्र रामकिशोर हिस्सा-1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 3. प्रमोद पुत्र रामकिशोर हिस्सा-1/8 जाति- अहीर सा. देह खातेदार 4. राजबीर यादव पुत्र गोरधन हिस्सा-1/4 जाति-अहीर सा. देह खातेदार 5. रामनन्द पुत्र गोरधन हिस्सा-1/4 जाति-अहीर सा. देह खातेदार
10	438	खातेदार	गै.मु. चाह	0.0100	
11	439 मिन	खातेदार	बारानी-3	1.1250	
12	1721/439	खातेदार	बारानी-3	0.2305	एम/एस श्रीयम प्रोजेक्टस् प्रा.लि. हिस्सा पूर्ण कार्यालय प्लॉट नं- *3* मेन सीकर रोड़ नं-1 जेडीए स्मरति वन पार्क जयपुर।
13	1163/1515 मिन	खातेदार	बारानी-2	0.32	1. चॉदसिह पुत्र रामकंवार हिस्सा-1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

					2. जगदीश पुत्र रामकंवार हिस्सा-1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार 3. देशराज पुत्र रामकंवार हिस्सा-1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार 4. मनमावतीदेवी पत्नि रामकंवार हिस्सा-1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
14	1618/321	खातेदार	चाही-3	0.17	1. कृष्ण पुत्र मामनसिह हिस्सा-1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 2. गीता पुत्री मामनसिह हिस्सा-1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 3. घनश्याम पुत्र मामनसिह हिस्सा-1/5 जाति-अहीर सा. कमालपुर खातेदार 4. फूलवती पुत्री मामनसिह हिस्सा-1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार 5. राकेश पुत्र मामनसिह हिस्सा-1/5 जाति- अहीर सा. कमालपुर खातेदार
15	1505/1170 मिन	खातेदार	बंजड़	0.0150	लक्ष्मीदेवी पत्नि नरेशकुमार हिस्सा-पूर्ण जाति- मेघवाल सा.सालाहेडा खातेदार
16	1506/1170 मिन	खातेदार	बंजड़	0.0150	धनपति पत्नि राजाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- अहीर सा.माजरी तहसील कोटकासिम खातेदार
कुल योग				4.1712	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षित किया जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर ओर उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण

करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको, जयपुर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार
शासन उप सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।